वीडियो कान्फ्रेंसिंग

संख्या-10/2020/324(1)/31-2020-42/2012टी0सी0-1

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2020**

विषयः-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1673/31-2019-42/2012 टी0सी0-1, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 एवं शासनादेश संख्या-8/2020/281/31-2020-42/2012 टी0सी0-1, दिनांक 29 फरवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से लोक भवन स्थित कक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं।

2- शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से लोक भवन स्थित कक्ष से आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु संलग्न तालिका के कॉलम-3 में अंकित विभागों की आवंटित समयानुसार समीक्षा की जाएगी।

(1) प्रत्येक विभाग के अधिकतम् 02 से 03 पैरामीटर पर वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा की जाएगी। अतिमहत्वपूर्ण की दशा में 04 पैरामीटर पर भी समीक्षा की जा सकती है।

(2) विभाग द्वारा गत वीडियों कान्फ्रेंसिंग के सापेक्ष वर्तमान वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की गई प्रगति पर समीक्षा करायी जाएगी तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति में अवगत कराया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रगति घटते हुए क्रम (Decreasing Order) में वेबसाइट पर फीड करायी जाएगी। फीड करायी गयी प्रगति में सबसे अच्छे 10 जनपद हरे रंग एवं सबसे खराब 10 जनपद लाल रंग से प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करायी गई अद्यतन प्रगति के आधार पर जनपदों की संयुक्त रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा।

(5) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय जिलाधिकारी द्वारा शासन स्तर से किए गए अपेक्षित मार्गदर्शन एवं प्रस्ताव को प्रशासकीय विभाग द्वारा Pending में न रखा जाए।

(6) वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्वयं उपस्थित रहें यदि अपरिहार्य परिस्थिति में स्वयं उपस्थित न हो पाएं तो अन्य अधिकारी नामित करने हेतु मुख्य सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।

कृपया उपर्युक्त आदेशों के क्रम में अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कराने हेतु तदनुसार कार्यवाही कराने एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यथासमय स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10/2020/324(2)**/31-2020-42/2012टीसी-1 तद्दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु विभागों का समयावंटन

क्र.सं.	निर्धारित सोमवार	विभाग	आवंटित समय (अपरान्ह)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रथम सोमवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु एजेण्डा बिन्दु	पशुधन	03:00 - 03:10	माह में एक बार
2		कृषि	03:10 - 03:20	
3		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	03:20 - 03:30	
4		नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन	03:30 - 03:50	
5		पंचायतीराज	03:50 - 04:00	
1	तृतीय सोमवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु एजेण्डा बिन्दु	महिला एवं बाल विकास	03:00 - 03:10	माह में एक बार
2		श्रम	03:10 - 03:20	
3				
4		बेसिक शिक्षा	03:20 - 03:40	
5				
6		लोक शिकायत	03:40 - 03:50	
7		ऊर्जा	03:50 - 04:00	
8	माह मई, जुलाई,सितम्बर, नवम्बर,जनवरी एवं मार्च के तृतीय सोमवार को	सहकारिता	04:00 - 04:20	दो माह में एक बार

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।